

27

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— एम० के० सिंह,
सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1186—दो/2011 एवं 1187—दो/11 विरुद्ध आदेश, दिनांक 8-7-2011 गरित द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 64/अ-5/08-09 एवं 63/अ-5/08-09

अपील प्र०क० 1186—दो/11

श्रीमती रश्मि पहारिया पत्नी श्री रमेश कुमार पहारिया
द्वारा आम मुख्त्यार रमेश कुमार पहारिया निवासी म० न० 327/1
अधारताल जबलपुर म० प्र०

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

1 श्रीमती कंवल कुवर व्यास पति स्व० गौरी शंकर
निवासी ग्राम पतरा, पोस्ट धरमपुरा, तहसील
विजावर जिला छतरपुर म० प्र० द्वारा आम मुख्त्यार
सुरेन्द्र कुमार सोनी निवासी एफ 4 गोलबाजार
जबलपुर म० प्र०

2 गार्गीशरण मिश्रा आत्मज हरिहर शरण मिश्रा
निवासी म० न० 1436—बी सरस्वती कालोनी
चैरीताल जबलपुर म० प्र० द्वारा आम मुख्त्यार
अजय तिवारी

..... प्रत्यर्थीगण

अपील प्र०क० 1187—दो/11

श्रीमती रश्मि पहारिया पत्नी श्री रमेश कुमार पहारिया
द्वारा आम मुख्त्यार रमेश कुमार पहारिया आत्मज स्व०
श्री कमल प्रसाद पहारिया निवासी म० न० 327/1
आनन्द नगर अधारताल जबलपुर म० प्र०

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

1 गार्गीशरण मिश्रा आत्मज हरिहर शरण मिश्रा
निवासी म० न० 1436—बी सरस्वती कालोनी
चैरीताल जबलपुर म० प्र० द्वारा आम मुख्त्यार
अजय तिवारी

(M) ✓

1/1

2 श्रीमती कंवल कुवर व्यास पति स्व० गौरी शंकर व्यास
निवासी ग्राम पतरा, पोस्ट आफिस धरमपुर, तहसील
विजावर जिला छतरपुर म० प्र० द्वारा आम मुख्यार
सुरेन्द्र कुमार सोनी निवासी एफ न 4 गोलबाजार
जबलपुर म० प्र०

..... प्रत्यर्थीगण

श्री जी० पी० तिवारी, अभिभाषक, अपीलार्थी (दोनों प्रकरणों में)
श्री एस० के० साहू, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण (दोनों प्रकरणों में)

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ५-९-२०१६ को पारित)

ये दोनों अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 64/अ-५/०८-०९ एवं 63/अ-५/०८-०९ में पारित आदेश दिनांक ८-७-२०११ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों प्रकरणों के तथ्य एक समान होने, पक्षकार एक होने एवं वाद-बिंदु एक होने से दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी रश्मि पहारिया द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार जबलपुर के समक्ष मौजा करमेता प.ह.नं. 26 रा.नि. मं. महाराजपुर बंदोवस्त नंबर 797 खसरा नं. 227/७ रकबा 10 हजार वर्गफुट के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पंजीकृत विक्यपत्र दिनांक २८-७-०५ एवं २९-७-०५ के आधार पर पेश किया गया। उक्त आवेदन पर से विचारण न्यायालय ने राजस्व प्र.क. ३/ए-५/०६-०७ पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन किया गया जिस पर प्रत्यर्थीगण द्वारा आपत्ति पेश की गई जिसका जबाव अपीलार्थी द्वारा दिया गया। तदुपरांत अति० तहसीलदार ने आदेश दिनांक १२-३-०७ द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक ०८-०९-२००८ द्वारा स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए गए कि अपीलार्थी की भूमि की तरमीम पंजीयत विक्यपत्र दिनांक १२-६-६७ के अनुसार नक्शे में दुरस्त की जाये साथ ही यह भी निर्देश दिए कि प्रत्यर्थीगण की तरमीम भी उनके द्वारा क्य की गई भूमियों की चौहदादी के अनुसार नक्शे में दर्ज करें।

(M)

f/m

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा पृथक्-2 अपीलें अपर आयुक्त के समक्ष पेश किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दोनों अपीलों में दिनांक 08.07.2011 को संयुक्त आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुए अपीलें स्वीकार की गईं। अपर आयुक्त के इन्हीं आदेशों के विरुद्ध ये अपीलें अपीलार्थी द्वारा इस में पेश की गई हैं।

3/ अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अपीलार्थी ने मौजा करमेता पटवारी हल्का नं. 26 रा.नि. महाराजपुर जबलपुर स्थित जायदाद जिसका खसरा नं. 227/7 रकबा 0.92 हैक्टर अर्थात् 10000 वर्गफुट जमीन दो भागों में दिनांक 28-7-05 एवं दिनांक 29-7-05 को पंजीकृत बैनामा के माध्यम से क्य कर नामांतरण कराया गया व डायवर्सन कराया गया है। अपीलार्थी श्रीमती रशिम पहारिया ने उक्त भूमि श्रीमती सरोज चड़ार से क्य किया था, श्रीमती सरोज चड़ार ने उक्त जायदाद बैनीप्रसाद से पंजीकृत विक्यपत्र के माध्यम से दिनांक 21-4-87 को क्य किया है। बैनीप्रसाद ने उक्त भूमि दिनांक 12-6-1967 को बद्रीप्रसाद से क्य किया था। विक्यपत्र के साथ जो नक्शा संलग्न है उसके अनुसार भूमि खसरा नं. 226 से लगा भाग है। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा भूमि दिनांक 12-6-1967 के बाद क्य की गई है। पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 23-9-06 में खसरा नं. 227/7 पर मौके पर तार बाउन्ड्री एवं गेट लगा पाया व मकान बना पाया है तथा अपीलार्थी का कब्जा बताया है। परंतु नक्शे में इसे 227/2 बताया है। इस प्रतिवेदन के बाबजूद पुनः तहसीलदार ने दिनांक 15-2-07 को पटवारी रिपोर्ट मांगी गई। उक्त पटवारी रिपोर्ट में खसरा नं. 227/2 एवं 227/3 का नक्शा तरमीम होने बताया गया। परंतु नक्शा तरमीम कब हुआ किसके आदेश से हुआ उल्लेख नहीं किया गया।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह गौर नहीं किया कि मौजा करमेता खसरा नं. 227/2 एवं 227/3 में सीलिंग प्रकरण चला है व रकबा बड़ा था व शेष जमीन 6593.89 वर्गमीटर शासन में वेष्ठित हो चुकी थी उक्त खसरा नं. का भाग प्रत्यर्थीगण ने क्य किया है। अतः प्रत्यर्थीगण को यह बताना होगा कि उन्होंने कौनसा भाग क्य किया है व कौन सा भाग शासन में वेष्ठित हुआ है किंतु इस संबंध में उन्होंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। जबकि अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 12-6-1967 के बैनामे के साथ पटवारी द्वारा स्वहस्ताक्षरित नक्शा संलग्न है।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय अपीलार्थी के 8000 वर्गफुट वाले विक्यपत्र का अवलोकन किया है वह 2000 वर्गफुट वाला बैनामा को पूर्णतः अनदेखा कर आदेश पारित किया है। 2000 वर्गफुट वाले पहले बैनामे में भूमि मैनरोड से लगी होना उल्लिखित है उसके बाद खसरा नं. 226 वा रोड है। दूसरा बैनामा जो 8000 वर्गफुट का है वह 200 मीटर दूर साईड रोड से लगी है इसमें कोई विवाद नहीं है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह विधिसंगत है जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व बैनामों को अनदेखा किया है। अपीलार्थी का बैनामा 1967 के तहत है जबकि प्रत्यर्थी गार्गीशंकर का बैनामा 1970 के तहत एवं प्रत्यर्थी कंवल कुअर द्वारा भूमि वर्ष 2000 में क्य की गई है। यह कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी का बैनामा 10000 वर्गफुट का है जो तार की बाउन्ड्री से घिरा है, उसमें एक बड़ा गेट एवं कमरा बना है जबकि अनावेदकों द्वारा क्य की गई भूमि 7500 वर्गफुट होती है। दोनों पक्षों की चौहदादी भिन्न है। प्रत्यर्थीगण की चौहदादी मौके से भिन्न है।

यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन जायदाद के बावत प्रकरण व्यवहार न्यायालय में भी चले हैं और 145 सीआरपीसी के तहत भी चले हैं जिनमें प्रत्यर्थीगण को कोई सहायता नहीं मिली। उसके बावजूद उक्त दस्तावेजों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4/ प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 28-5-05 के विक्यपत्रों के आधार पर नक्शा तरमीम का निवेदन किया है। उक्त दोनों विक्यपत्र पृथक-2 हैं। जबकि अनावेदकों के द्वारा उक्त भूमि को 31.3.70 को क्य किया गया है। अपीलार्थी द्वारा क्य की गई भूमि दो भागों में होने के साथ-साथ पृथक-2 दर्शित है। जिसमें भूमि को मुख्य मार्ग से 200 मीटर दूर दर्शित किया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि जिस भूमि पर अपीलार्थी द्वारा नक्शा तरमीम का आवेदन दिया गया है उक्त भूमि पर उत्तरवादियों का नक्शा पूर्व से तरमीम है। इस कारण उक्त भूमि पर पुनः नक्शा तरमीम नहीं किया जा सकता। यदि अपीलार्थी नक्शा तरमीम कराना चाहती थी तो उसे उत्तरवादी के नक्शे

तरमीम के आदेश के विरुद्ध अपील/निगरानी करना चाहिए थी जो नहीं की गई ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

यह तर्क दिया गया है कि प्रकरण के अवलोकन से सपष्ट होगा कि आलोच्य आदेश विधि के सुसंगत आधारों पर पारित किया गया है जिस कारण से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में 12-6-67 के विक्यपत्र को आधार बनाकर नक्शा तरमीम की बात कही है किंतु उन्होंने इस तथ्य को ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष 28-5-2005 के विक्यपत्र को आधार बनाकर नक्शा तरमीम का निवेदन किया था। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है।

यह तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा अभिलेखों का सूक्ष्म अवलोकन करने के उपरांत आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है। उत्तरवादी के नाम पर पंजीकृत विक्यपत्र 30 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण वह धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वयं सिद्ध दस्तावेज है। यह भी कहा गया कि अपीलार्थी के पक्ष में जो विक्यपत्र एवं पश्चात सुधारपत्र निष्पादित हुए हैं उनका मुख्त्यारनामा किसी भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थीउक्त विक्यपत्रों बावत अपना स्वत्त्व प्रमाणित नहीं कर सकी है।


अंत में यह तर्क दिया गया है कि यदि कोई पक्षकार किसी प्रकार से किसी आदेश से व्यक्ति होता है तो उसे उपचार प्राप्त है कि उक्त आदेश के विरुद्ध वह अपील या निगरानी कर सकता है और जब आवेदित भूमि पर पूर्व से ही उत्तरवादी का नक्शा तरमीम किया जा चुका है तब उपरोक्त भूमि के संबंध में पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी को एक मात्र उपचार अपील या पुनरीक्षण करना ही है। किंतु अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में पारित नक्शा तरमीम के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है और नये सिरे से आवेदन पेश किया गया है जो पोषणीय नहीं है। उक्त आधारों पर अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। अभिलेख में जो दस्तावेज संलग्न है उनसे स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने मौजा करमेता पटवारी हल्का नं. 26 रा.नि. महाराजपुर जबलपुर स्थित जायदाद जिसका खसरा नं.

227/7 रकबा 0.92 हैक्टर अर्थात् 10000 वर्गफुट प्रश्नाधीन भूमि को दो भागों में कय किया गया है। दिनांक 28-7-05 को 2000 वर्गफुट एवं दिनांक 29-7-05 को 8000 वर्गफुट भूमि पंजीकृत बैनामा के माध्यम से कय की गई है तथा कय किये जाने के उपरांत नामांतरण व डायवर्सन कराया गया है। उक्त भूमि अपीलार्थी श्रीमती रश्मि पहारिया ने श्रीमती सरोज चडार से कय किया था, श्रीमती सरोज चडार ने उक्त जायदाद बैनीप्रसाद से पंजीकृत विक्यपत्र के माध्यम से दिनांक 21-4-87 को कय किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने जो भूमि कय की है वह वही भूमि है जिसे दिनांक 12-9-67 को बैनीप्रसाद ने बद्रीप्रसाद से कय किया गया था।

6/ जहां तक प्रत्यर्थी गार्गीशंकर मिश्रा द्वारा कय की गई भूमि का प्रश्न है, उनके द्वारा दिनांक 31-3-1970 को खसरा नं. 227 में से रकबा 37.6 x 200 वर्गफुट भूमि पंजीकृत बैनामा द्वारा रघुवीर प्रसाद से कय की गई है विक्यपत्र के अनुसार रघुवीर प्रसाद को उक्त भूमि बटवारे में प्राप्त हुई थी। अनावेदक गार्गीशंकर के अनुसार उनके द्वारा कय की गई भूमि राधिका प्रसाद द्वारा कय की गई भूमि का हिस्सा है जो उसने 12-6-1967 को ही बद्रीप्रसाद से कय किया था। अभिलेख में राधिका प्रसाद द्वारा कय की गई भूमि का विक्यपत्र भी अभिलेख में संलग्न है उक्त विक्यपत्र के साथ जो नक्शा संलग्न है उसको देखने से स्पष्ट है कि उक्त भूमि बैनीप्रसाद द्वारा कय की गई भूमि से लगी हुई है। जहां तक प्रत्यर्थी कंवल कुमार द्वारा कय की गई भूमि का प्रश्न है उनके द्वारा खसरा नं. 227/23 रकबा 25 x 200 वर्गफुट दिनांक 9-2-2000 को विवेक अग्रवाल से कय की है। विवेक अग्रवाल ने उक्त भूमि को शकुन ठाकुर से दिनांक 15-3-1996 को कय किया था।

7/ अभिलेख में अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी बैनीप्रसाद द्वारा जो भूमि कय की गई है उसका विक्यपत्र संलग्न है। जिसके अनुसार बैनीप्रसाद द्वारा खसरा नं. 227 रकबा 7.04 में से रकबा 50 बाई 200 फुट नक्शे के अनुसार कय की गई है। बैनीप्रसाद द्वारा कय की गई उक्त भूमि का विक्य श्रीमती सरोज चडार को दिनांक 21.4.87 को किया गया है श्रीमती सरोज चडार के विक्यपत्र में जो चतुर्सीमा उल्लिखित है उसके अनुसार एक ओर से मैन रोड तथा एक ओर खसरा नं. 226 से लगी होने का उल्लेख है। श्रीमती सरोज चडार द्वारा कय की गई उक्त भूमि का विक्य उसने अपीलार्थी को दो भागों में किया गया है। प्रथम विक्यपत्र 2000 वर्गफुट भूमि का है जिसमें भूमि का एक भाग मैन रोड पर उल्लिखित है और दूसरा विक्यपत्र 8000 वर्गफुट का है जो इस भूमि के पीछे लगा हुआ है। प्रत्यर्थी गार्गीशंकर मिश्रा तथा कंवल कुंवर व्यास द्वारा कय की गई भूमियों के विक्यपत्र भी संलग्न हैं। प्रत्यर्थी गार्गीशंकर मिश्रा द्वारा


गर्गीशंकर मिश्रा

खसरा नं. 227 में से 7500 वर्गफुट भूमि रघुवीरप्रसाद से कय की है उनके विक्यपत्र में चौहददी भी अंकित है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी कंवल कुवर व्यास द्वारा खसरा नं. 227/3 रकबा 5000 वर्गफुट कय किया है। उक्त तथ्यों को अपर आयुक्त ने पूर्णतया अनदेखा किया है इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त ने अपीलार्थी द्वारा कराये 2000 वर्गफुट के प्रथम विक्यपत्र का कोई उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया है। अपर आयुक्त ने पटवारी द्वारा दिनांक 23-9-2006 को प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसके उपरांत प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया था, इसके उपरांत तहसीलदार को पुनः प्रतिवेदन बुलाने की आवश्यकता किस कारण पड़ी इस बिंदु पर कोई विचार नहीं किया गया है।

8/ जहां तक अपीलार्थी जिस स्थान पर काबिज है उक्त भूमि का नक्शा पूर्व से प्रत्यर्थीयों के नाम से तरमीम होना बताया जा रहा है किंतु प्रत्यर्थी गार्गीशंकर मिश्रा द्वारा कय की गई भूमि की नक्शे में तरमीम कब और किस आदेश से और किन आधारों पर की गई इसका कोई उल्लेख ना तो तहसीलदार ने और ना ही अपर आयुक्त ने अपने आदेश में किया है और ना इस प्रकार के किसी आदेश की प्रतिलिपि अभिलेख में संलग्न है। प्रत्यर्थी गार्गीशंकर मिश्रा एवं कंवलकुवर द्वारा कय की गई भूमियां एक साथ लगी हैं इसका कोई उल्लेख उनके विक्यपत्रों में नहीं है। इस तथ्य को अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-7-11 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-9-08 जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी की भूमि की तरमीम पंजीयत विक्यपत्र दिनांक 12-6-67 के अनुसार तथा प्रत्यर्थीगण की तरमीम उनके द्वारा कय की गई भूमियों की चौहददी के अनुसार नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिए हैं, स्थिर रखा जाता है।

(एम० के० सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
गवालियर